न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः–25/2017

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
रामूराम पुत्र श्री हपाराम जाति जाट निवासी रिनिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।		1. मोहनीदेवी पत्नी नृसिंगराम 2. नरसिंगराम पुत्र गोमदराम जाति जाट, निवासी रिनिया तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर। 3. तहसीलदार तिंवरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट

उपस्थित –

प्रार्थी – अधिवक्ता श्री जसवन्तसिंह चौहान।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से सरकारी पैरोकार।

–::निर्णय::–

दिनांकः–27/11/15

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि– तिंवरी के ग्राम रिनिया की सरहद में खसरा नम्बर 95 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा भूमि प्राथी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। उपरोक्त वर्णित भूमि जो प्रार्थी व अन्य खातेदारान की खातेदारी व कब्जा काश्त की है जिसके दक्षिण पूर्व की तरफ एक डामर सड़क स्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि के दक्षिण तरफ खसरा नम्बर 95/2 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है, जिसके दक्षिण में प्रार्थी स्वयं की भूमि खसरा नम्बर 95/3 है तथा उसके दक्षिण में खसरा नम्बर 95/1 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा जो अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त भूमि के दक्षिण पूर्व तरफ उक्त डामर सड़क स्थित है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 95 में आगवामन हेतु रास्ता उक्त डामर सड़क से अप्रार्थीगण की भूमि से होकर चलता है जो नजरी नक्शे में 'ए' से 'बी' व 'सी' से 'डी' मार्क से दर्शाया गया है। प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु उक्त रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:56:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

के अलावा दुसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन उक्त रास्ते से ही करता है परन्तु हाल ही में उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण ने बन्द कर दिया जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने में भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु उक्त रास्ता लघुतम व निकटतम एकमात्र रास्ता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा किन्तु उक्त रास्ते का मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं हुआ। प्रार्थी का उक्त रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं पर 12 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की भूमि तक तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। जो प्रार्थी का निकटतम व लघुतम एकमात्र रास्ता है। प्रार्थी डी.एल.सी. की अधिसूचित भूमि की दर से रास्ते की भूमि का प्रतिकर न्यायालय आज्ञा द्वारा अवधारित करने पर अदा करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि न्यायहित में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 95 मौजा ग्राम सिनिया में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 95/2 व 95/1 की भूमि में से नजरी नक्शे में दर्शाया गया रास्ता ए से बी व सी से डी जो लाल रंग से मार्क किया गया 12 फुट चौड़ा रास्ता तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अम्ल दरामद करवाया जावें तथा नजरी नक्शे अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाई जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

यह है कि अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार तिंवरी से मौका फर्द तलब की गई जो शामिल मिसल है। मौक फर्द दिनांक 05.11.2019 में ए से डी बिन्दू तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता दर्शाया हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य पूर्व में प्रार्थना पत्र संख्या 331/2016 नरसिंगराम बनाम भभूताराम में राजस्व न्यायालय अपील अधिकारी जोधपुर के आदेश दिनांक 30.10.2019 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में प्रार्थी की भूमि में A1 से BC DE तक रास्ता का अमल दरामद राज्य सरकार के पक्ष में किये जाने का आदेश दिया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:56:39 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि वकील पक्षकारान की [illegible] सुनाई प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया [illegible] यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा मौका फर्द से यह स्पष्ट है कि [illegible] की भूमि में आवागमन

Scanned by CamScanner

हेतु चाहा गया रास्ता ही निकटतम व लघुतम रास्ता है एवं प्रार्थना पत्र संख्या 331/2016 नरसिंगराम बनाम मगूताराम में राजस्व न्यायालय अपील अधिकारी जोधपुर के आदेश दिनांक 30.10.2019 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में प्रार्थी की भूमि में A1 से BC DE तक रास्ता घोषित कर उसे अमल दरामद राज्य सरकार के पक्ष में किये जाने का आदेश दिया जा चुका है। इसलिए मौका फर्द दिनांक 05.11.2019 में मार्क B से C बिन्दु तक का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 95/2 में से है जो प्रार्थी का निकटतम रास्ता है। जिसको नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली पर नहीं है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। जो रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 95/2 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा में से मौका फर्द दिनांक 05.11.2019 में दर्शाये हुए B से C बिन्दु तक रास्ता मौका फर्द अनुसार घोषित किया जाता है जिसका रकबा 3 जरीब 7.5 गट्टा की वर्तमान डी.एल.सी. की दो गुना दर से प्रतिफल की राशि प्रार्थी से जमा की जाकर तहसीलदार तिंवरी द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर नक्शा ट्रेश में तरमीम की कार्यवाही करें। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां
सहायक कलेक्टर, ओसियां

आज दिनांक 27/11/19 को खुले न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:56:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां
सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner